

प्रत्यक्ष विक्रेता ई-अनुबंध समझौता

इस समझौते को कार्यान्वित करने वाले पक्षों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन स्वीकार किया जाता है (इसके बाद प्रत्यक्ष विक्रेता और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के रूप में उल्लिखित और संदर्भित, अभिव्यक्तियों का अर्थ होगा और इसमें उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी, नियुक्त, उत्तराधिकारी, प्रशासक और उपक्रमकर्ता शामिल होंगे)।

ज्ञात हो कि यह अनुबंध समझौता भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) (संशोधन) नियम, 2023 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 (इसके बाद संदर्भित नियमों के अनुसार) के प्रावधान के अनुसार निष्पादित और दर्ज किया गया है।

जबकि डायरेक्ट सेलर ने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से और बिना किसी मानसिक या शारीरिक दबाव के, एएडी ईकॉमर्स एंड टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (कंपनी अधिनियम, २०१३ के तहत पंजीकृत) नामक डायरेक्ट सेलिंग इकाई के डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क व्यवसाय में शामिल होने की पेशकश की है। जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U52609JH2022PLC018297 है और पंजीकृत कार्यालय दुकान नंबर 3 और 4, साई वाटिका, श्री साई सिटी, पुंदाग, रांची, झारखंड-834007 भारत में है।

और जबकि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई 'प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार' में लगी हुई है, जिसका अर्थ है कि वस्तुओं का विपणन, वितरण और बिक्री और निर्धारित व्यापार/समझौता योजना के अनुसार बहु-स्तरीय स्तर पर प्रत्यक्ष विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना (जिसे इस समझौते के भाग और पार्सल के रूप में पढ़ा जा सकता है जैसा कि संक्षिप्तता के लिए यहां पेश नहीं किया जा रहा है) पिरामिड या मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत नहीं आता है।

और जबकि प्रत्यक्ष विक्रेता, जिसका नाम उसके केवाईसी विवरण के साथ नीचे दिया गया है, ने उक्त व्यापार/समझौता योजना के सभी प्रावधानों, उत्पाद विवरण और वर्तमान ई-अनुबंध समझौते को श्री/श्रीमती/मिस/मैसर्स _____

द्वारा समझाए जाने के बाद दिया है। , आईडी नंबर _____, डायरेक्ट सेलिंग इकाई की वेबसाइट <https://aadsworld.com> पर जाकर विधिवत पता लगाया और संतुष्ट होकर स्वेच्छा से डायरेक्ट सेलिंग इकाई के व्यवसाय में शामिल होने की पेशकश की है और इस ई-कॉन्ट्रैक्ट समझौते में प्रवेश करने का संकल्प लिया है, इसलिए यह विलेख .

परिभाषाएं

1. **"कंपनी"** का अर्थ है एएडी ईकॉमर्स एंड टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड।
2. **"अधिनियम"** का तात्पर्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 से है।
3. **" प्रत्यक्ष बिक्री इकाई"** का अर्थ होता है, प्रमुख इकाई जो विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से सीधे माल या सेवाओं को बेचने या बेचने की पेशकश करती है, लेकिन इसमें एक ऐसी इकाई शामिल नहीं है जो पिरामिड योजना या मनी सर्कुलेशन स्कीम में लगी हुई है।
4. **"प्रत्यक्ष विक्रेता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा मूल आधार पर प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने के लिए विधिक रूप से लागू करने योग्य लिखित संविदा के माध्यम से प्राधिकृत किया गया हो।
5. **"विक्रेताओं का नेटवर्क"** का अर्थ ऐसी बिक्री से केवल प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं को बेचने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा बनाया गया प्रत्यक्ष विक्रेताओं का नेटवर्क है।
6. **"भावी ग्राहक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई में सम्मिलित होने की प्रस्तावना करना या प्रस्ताव किया जाता है।

7. माल सेवाओं के संबंध में **“बिक्री योग्य”** ऐसी अप्रयुक्त और विपणनयोग्य माल या सेवाएं अभिप्रेत हैं इसके उपयोग की तारीख समाप्त नहीं हुई है या जो मियादी नहीं है, जिन्हें बंद कर दिया गया है या जो विशेष संवर्धन के लिए उपयोग की गई हैं।
8. **“कूलिंग-ऑफ अवधि”** का अर्थ है किसी भागीदार को अनुबंध का उल्लंघन किए बिना या जुर्माना लगाए बिना प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में भाग लेने के लिए किए गए समझौते को रद्द करने के लिए दी गई समयावधि।
9. **“गलत बिक्री”** का अर्थ होता है, किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए गलत तरीके से पेश करना ताकि वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके और इसमें उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करना या किसी उत्पाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ना या ऐसी जानकारी प्रदान करना शामिल है जो उत्पाद को कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो ऐसा नहीं है।
10. **“धन परिचालन स्कीम”** का अर्थ है इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित योजनाएं।
11. **“पिरामिड स्कीम”** से किसी स्कीम में अतिरिक्त अभीदाताओं के नामांकन या कार्य या प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक अभीदाताओं को नामांकित करते हुए अभीदाताओं द्वारा बनाई गई स्कीम के लिए अभीदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क है, जिसमें अतिरिक्त अभीदाताओं को नामांकित करने वाले अभीदाता उच्च स्थान पर कब्जा

प्राप्त है और नामांकित अभीदाता निचले स्थान पर कब्जा प्राप्त है, जिससे क्रमिक नामांकन के जरिया अभीदाताओं को बहुस्तरीय नेटवर्क बनता है।

12. "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा" का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43ए के तहत समय-समय पर निर्दिष्ट संवेदनशील डेटा या जानकारी है।

13. "राज्य" में एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

अब यह समझौता इस प्रकार है:

सामान्य नियम और शर्तें

1. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई यह घोषणा करती है कि कंपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021, विधि माप विज्ञान अधिनियम, 2009, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री इकाई पर लागू अन्य सभी नियम और कानून के अनुरूप अपना कारोबार चलाती है।
2. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि इस ई-संविदा के समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी प्रवेश शुल्क या सब्सक्रिप्शन शुल्क लेगा या किसी नए प्रतिभागियों की भर्ती के लिए कोई पारिश्रमिक या प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।
3. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि किसी भागीदार को ऐसी राशि के लिए वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने की

आवश्यकता नहीं है, जो उस राशि से अधिक हो, जिसके लिए ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपभोक्ताओं को बेचा या फिर से बेचा जा सकता है।

4. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के व्यवसाय में भागीदारी से संबंधित किसी भी प्रविष्टि/पंजीकरण शुल्क, बिक्री प्रदर्शन उपकरण और सामग्री की लागत या अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए किसी भागीदार की आवश्यकता नहीं है।
5. किसी भी प्रतिभागी पर उत्पाद खरीदने या उसे बढ़ावा देने की कोई बाध्यता नहीं है। यदि प्रतिभागी स्वेच्छा से उत्पाद खरीदता है और उसे बढ़ावा देने में रुचि रखता है तो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई उत्पाद के निर्धारित मूल्य के भुगतान पर उत्पाद प्रतिभागी को प्रदान करेगी।
6. प्रत्यक्ष विक्रेता आवेदन फॉर्म के प्रत्येक कॉलम को ऑनलाइन भरें और अपने केवाईसी दस्तावेज अपलोड करें।
7. प्रत्यक्ष विक्रेता 'मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ' बटन पर क्लिक करके इस ई-संविदा की शर्तों को स्वीकार करेगा।
8. उपरोक्त प्रक्रिया के पूरा होने पर, प्रत्यक्ष विक्रेता इस समझौते का एक प्रिंटआउट ले सकता है।
9. इस समझौते के निष्पादन के बाद और उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से अपलोड किए गए सभी केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आवेदक को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के व्यवसाय का प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में स्वीकार किया जाएगा और आवेदक को

एक विशिष्ट पहचान संख्या और पासवर्ड आवंटित किया जाएगा, ताकि वह अपनी वेबसाइट पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा रखे गए अपने व्यक्तिगत खाते का उपयोग कर सके।

10. यह कि प्रत्यक्ष विक्रेता इस समझौते के निष्पादन की तारीख से दस (10) दिनों के भीतर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को हार्ड कॉपी में निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करेगा (इस समझौते की शर्तों की स्वीकृति सहित) पहले से ही स्वीकृत और सहमत हैं "मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ" बटन पर क्लिक करके।

11. यह कि आवेदन और केवाईसी विवरणों की जांच और सत्यापन पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है और इसमें प्रत्यक्ष विक्रेता के आवेदन को अस्वीकार कर सकती है, जिस पर प्रत्यक्ष विक्रेता इसके द्वारा सहमत होता है। यदि केवाईसी और हार्ड कॉपी में अन्य दस्तावेज असंतोषजनक या नरम, जाली/ फर्जी पाए जाते हैं या इस उद्देश्य के लिए निर्धारित सरकारी दिशानिर्देशों की पुष्टि नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इकाई के पास पूर्ण विवेकाधिकार होगा और वह अपने प्रत्यक्ष बिक्री विशिष्ट पहचान संख्या को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह कि केवाईसी में भारत सरकार या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा विधिवत जारी किए गए निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. स्थायी खाता संख्या (पैन) सभी मामलों में अनिवार्य
- ii. आधार कार्ड
- iii. वोटर आईडी कार्ड
- iv. पासपोर्ट

- v. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान दस्तावेज जिसे ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।
- vi. किसी कंपनी या फर्म के मामले में आवेदक के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़:
 - a. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), एसोसिएशन ज्ञापन (एमओए), एसोसिएशन का लेख (एओए) या साझेदारी विलेख जैसा भी मामला हो
 - b. वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) (जहां लागू हो)
 - c. आवेदक इकाई के निदेशकों/साझेदारों की सूची
 - d. इस ई-अनुबंध समझौते और आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने वाले निदेशक/साझेदार के पक्ष में बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण।

13. इस मामले में प्रत्यक्ष विक्रेता यह घोषणा करता है कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है जैसा कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 79 के खंड (3) के तहत प्रावधान किया गया है और वह न तो मुकदमेबाजी में है और न ही इस मामले में प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के व्यवसाय में शामिल होने की तारीख के पहले पांच वर्षों में किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

14. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई प्रभावी समर्थन प्रणाली बनाए रखने के लिए फ्रेंचाइज़ी / पिक-अप केंद्रों / उपलब्ध कुरियर / परिवहन या किसी अन्य लॉजिस्टिक्स सेवा के माध्यम से उत्पादों की आपूर्ति में प्रत्यक्ष विक्रेता को सभी सहायता प्रदान करेगी।

15. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई प्रत्यक्ष विक्रेता को फोटो पहचान पत्र जारी करेगी। इस फोटो पहचान पत्र को प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा समझौते की समाप्ति / निरस्त होने पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को लौटा दिया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा।
16. प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की ओर से अपने नाम पर किसी भी प्रकार का नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट एकत्र करने का अधिकार नहीं होगा। सभी चेक/डिमांड ड्राफ्ट आदि इसे केवल प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के नाम पर ही लिया जाना चाहिए और इसे प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा निर्दिष्ट प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के कार्यालय या अन्य कार्यालयों में जमा किया जाना चाहिए। एक प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष विक्रय इकाई के लिए और उसकी ओर से न्यास में उक्त नकद संग्रहण/चेक/डिमांड ड्राफ्ट धारित करेगा। उक्त नकद संग्रह/चेक/डिमांड ड्राफ्ट जमा करने में विफल रहने पर, प्रत्यक्ष विक्रेता हर्जाना/मुआवजा और मासिक-लाभ, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा जारी रसीद/इनवॉयस केवल उपभोक्ता के हाथ में वैध दस्तावेजी साक्ष्य होगा। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की ओर से कोई रसीद जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा।
17. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने उत्पादों की बिक्री के लिए निम्नलिखित सुविधाएं खोल सकती है:
- i. ऑनलाइन पोर्टल/ई-कॉमर्स
 - ii. द्वितीय. स्टोर (खुदरा आउटलेट)
 - iii. अधिकृत बिक्री स्थल/पिकअप केंद्र

18. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को किसी प्रत्यक्ष बिक्रीकर्ता को अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए किसी कार्यालय या स्थापना को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है और यदि कोई प्रत्यक्ष विक्रेता ऐसा करता है तो वह खुद इस तरह के व्यय को वहन करने के लिए जिम्मेदार होगा और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई उसे रिफंड या प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
19. प्रत्यक्ष विक्रेता नकद पुरस्कार, ट्रिप, बहुमूल्य वस्तुओं आदि की पेशकश करके व्यक्तिगत स्तर की व्यावसायिक प्रोत्साहन गतिविधियों का संचालन या घोषणा नहीं कर सकते।
20. प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्यक्ष विक्रेता के पंजीकृत पते, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पंजीकृत डाक या कूरियर सेवा या ई-मेल या व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया कोई भी नोटिस या पत्राचार संदेश को प्राप्तकर्ता को कानूनी रूप से वितरित माना जाएगा। हालाँकि, प्रत्येक डायरेक्ट सेलर को अपने पते, ई-मेल और मोबाइल नंबर में बदलाव के बारे में डायरेक्ट सेलिंग इकाई को तुरंत सूचित करना चाहिए, ऐसा न करने पर डायरेक्ट सेलर का गैर-डिलीवरेंस दावा किसी भी कीमत पर मान्य नहीं होगा।
21. प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और उसके सह-वितरक के प्रति वफादार होगा और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की मर्यादा को बनाए रखेगा और सह-वितरक और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा।
22. बिक्री अभ्यावेदन की शुरुआत में प्रत्यक्ष विक्रेता को बिना किसी अनुरोध के सच्चाई और स्पष्ट रूप से खुद की पहचान, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की पहचान, बेची गई वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति और भावी उपभोक्ता से आग्रह का उद्देश्य बताना होगा;

23. प्रत्यक्ष विक्रेता भावी उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं, मूल्यों, ऋण शर्तों, भुगतान की शर्तों, रिटर्न नीतियों, गारंटी की शर्तों और बिक्री के बाद सेवा के बारे में सटीक और पूर्ण स्पष्टीकरण और प्रदर्शन की पेशकश करेगा।
24. एक प्रत्यक्ष विक्रेता को लागू कानून के अनुसार उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के संबंध में उत्पादों, मूल्य, कर और मात्रा और ऐसे अन्य विवरणों का विवरण बताते हुए खातों की एक उचित पुस्तक रखनी होगी।
25. प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के साथ अपने सभी लेनदेन और पत्राचार में लॉगिन आईडी का उल्लेख करना होगा।
26. एक बार आवंटित लॉगिन आईडी को किसी भी बाद के समय में बदला नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई बिना लॉगइन आईडी के मनोरंजन नहीं करेगी।
27. प्रसंस्करण शुल्क और किसी भी अन्य लागू शुल्क की कटौती डायरेक्ट सेलिंग इकाई के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
28. प्रत्यक्ष विक्रेता समय-समय पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा बनाई गई नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता है।
29. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के पास पूर्व सूचना दिए बिना नियमों और शर्तों, उत्पादों, योजना, व्यवसाय और नीतियों को संशोधित करने का अधिकार है। ऐसी सूचना प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जा सकती है और ऐसा

कोई संशोधन/संशोधन लागू होगा और ऐसी सूचना की तारीख से प्रत्यक्ष विक्रेता पर बाध्यकारी होगा।

30. प्रत्यक्ष विक्रेता की मृत्यु या संविदात्मक क्षमता के नुकसान के मामले में, उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का प्रत्यक्ष विक्रेता बन जाएगा और वह सभी नियमों और विनियमों, नियमों और शर्तों आदि का भी पालन करेगा। उसी तरह जैसे मूल प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा पालन किया जा रहा था/करना चाहिए था।

31. प्रत्यक्ष विक्रेता सभी राज्य और केन्द्र सरकार और स्थानीय शासी निकाय कानूनों, विनियमों और संहिताओं का पालन करेगा जो उनके टीम व्यवसाय के संचालन पर लागू होते हैं।

32. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के नाम और प्रतीक चिन्ह का अनन्य स्वामी होगी। प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की अनुमति के बिना कहीं भी ट्रेडमार्क, लॉगोटाइप या डिजाइन का उपयोग नहीं करेगा। यह अनुमति, यदि दी गई है, तो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकती है। उल्लंघन, यदि कोई हो, को इस समझौते के उल्लंघन के रूप में वर्णित किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप इस समझौते और प्रत्यक्ष विक्रेता की प्रत्यक्ष बिक्री, मौजूदा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई और उस इकाई के एकमात्र विवेकाधिकार पर नियम हो सकते हैं जिसके लिए प्रत्यक्ष विक्रेता सहमत है।

33. प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा आयोजित बैठकों और सेमिनारों के लिए सभी व्यवस्थाएं, खर्च, स्थानीय अधिकारियों से अनुमति, केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के नियमों का अनुपालन प्रत्यक्ष विक्रेता की जिम्मेदारी है।
34. प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी तरह से प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की विपणन योजना या उत्पाद दर, व्यावसायिक मूल्य आदि में हेरफेर नहीं करेगा।
35. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई मासिक आधार पर अपने सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं की खरीद के मूल्य की निगरानी करेगी और एक बार खरीद मूल्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सीमा के पार हो जाने के बाद, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई प्रत्यक्ष विक्रेताओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए सूचित करेगी।
36. प्रत्यक्ष विक्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि भारतीय कानून द्वारा संबंधित प्राधिकरण को लागू किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में प्रत्यक्ष बिक्री इकाई से इसका दावा नहीं करेगा।
37. प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को अपना केवाईसी विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।
38. प्रत्यक्ष विक्रेता और/या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा विकसित और/या विकसित करने के लिए अधिकृत व्यवसाय संवर्धन सामग्री के अलावा अन्य व्यवसाय संवर्धन सामग्री का उपयोग करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

39. प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा निर्धारित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों के साथ-साथ भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, कानून और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा। एक प्रत्यक्ष विक्रेता उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 और खंडों में परिभाषित खंड 3 [(ड), (च), (ज)] और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के खंड 2 (1), (18), (20), (41) से (43) और (47) में उल्लिखित किसी भी भ्रामक या गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं जैसे गलत बिक्री या अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल नहीं होगा और यदि ऐसा करता है तो वह उसके परिणामों और खतरों के लिए केवल और पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
40. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की अनूठी व्यवसाय योजना जनता को एक इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और किसी भी तरह से धन के संचालन में शामिल नहीं होती है। इसलिए यदि कोई वितरक इस तरह का प्रचार करते हुए पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से वितरक पद से हटा दिया जाएगा और उसके व्यवहार से होने वाले सभी नुकसान की भरपाई उसे करनी होगी।
41. ऑनलाइन ऑर्डर करने या भुगतान करने से पहले सभी उपभोक्ताओं/प्रत्यक्ष विक्रेताओं को हमारे स्थानों पर उत्पाद की उपलब्धता की जांच करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की वेबसाइट/ मुद्रित सामग्री या प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा किसी अन्य माध्यम पर दिखाई गई छवियां केवल संदर्भ के लिए हैं और वास्तविक उत्पाद भिन्न हो सकता है।
42. प्रत्यक्ष विक्रेता को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त होंगे:

- i. संभावित कमाई क्षमता के संदर्भ में डायरेक्ट सेलिंग इकाई से किसी प्रतिबद्धता या वादे के बिना डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की जाती है।
- ii. माल/उत्पादों की बिक्री पर कोई क्षेत्रीय प्रतिबंध नहीं है।
- iii. विपणन योजना के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के माल/उत्पादों की बिक्री को प्रभावित करने के लिए प्रोत्साहन।
- iv. कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होगा, हालांकि प्रत्यक्ष विक्रेता की आय प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की विपणन योजना के अनुसार स्वयं या टीम के माध्यम से प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा की गई बिक्री की मात्रा के अनुपात में होगी।

43. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई यह सुनिश्चित करती है कि उसके सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं ने पहचान और भौतिक पते का सत्यापन किया है और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई केवल ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पहचान पत्र और दस्तावेज जारी करती है।

44. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करती है कि उसके प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा पेश की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं लागू कानूनों के अनुरूप हों।

45. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर वर्तमान में लागू कानून द्वारा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत करेगा और किसी उपभोक्ता द्वारा प्रदान किए गए ऐसे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इस तरह के डेटा के उपयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

46. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने कार्यालयों या शाखाओं या प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से या डाक, टेलीफोन, ई-मेल या वेबसाइट के माध्यम से

उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करेगी।

47. यदि प्रत्यक्ष विक्रेता किसी शिकायत को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के ध्यान में लाना चाहता है तो वह "शिकायत निवारण तंत्र" के अनुसार ऐसा कर सकता है।

48. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने व्यवसाय के दौरान या अन्यथा कोई अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं अपनाएगी और उस समय लागू किसी भी कानून में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेगी।

49. प्रत्यक्ष विक्रय इकाई, किसी वस्तु या सेवा की खरीद के बाद उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर, उसे किसी भी प्रत्यक्ष विक्रेता के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, जिससे ऐसे उपभोक्ता ने खरीदारी की है, और ऐसी जानकारी में नाम शामिल होगा, पता, ई-मेल, संपर्क नंबर और कोई अन्य जानकारी जो प्रभावी विवाद समाधान के लिए ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेता के साथ संचार करने के लिए आवश्यक है।

50. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि माल या सेवाओं के विपणन के लिए विज्ञापन ऐसे माल या सेवाओं की वास्तविक विशेषताओं, पहुंच और उपयोग की शर्तों के अनुरूप हों।

51. प्रत्यक्ष विक्रय इकाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं को एक उपभोक्ता के रूप में गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं करेगी और अपने सामान या सेवाओं के बारे में समीक्षा पोस्ट नहीं करेगी या अपने किसी भी सामान या सेवाओं की गुणवत्ता या विशेषताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगी।
52. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से बेची गई वस्तुओं या सेवाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है, या गारंटी देती है कि ऐसी वस्तुएं या सेवाएं प्रामाणिक हैं, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की प्रामाणिकता से संबंधित किसी भी कार्रवाई में दायित्व वहन करेगी।
53. इसके द्वारा अपनाई गई वितरण प्रणाली के बावजूद, एक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की निगरानी करेगी और ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के माध्यम से इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

प्रत्यक्ष विक्रय इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेता के कर्तव्य

54. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि पेशकश की शर्तें स्पष्ट होंगी, ताकि उपभोक्ता को पेशकश की वास्तविक प्रकृति और किसी भी आदेश देने में शामिल प्रतिबद्धता के बारे में पता चल सके।

55. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वस्त करती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि प्रत्यक्ष बिक्री में इस्तेमाल की गई प्रस्तुतियों और अन्य अभ्यावेदन में कोई उत्पाद विवरण, दावा, उदाहरण या अन्य तत्व शामिल नहीं होंगे जो प्रत्यक्ष या निहितार्थ से उपभोक्ता को गुमराह कर सकते हैं।
56. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि प्रस्तुत की गई वस्तुओं या सेवाओं का विवरण और प्रदर्शन सटीक और पूर्ण है, विशेष रूप से मूल्य के बारे में और यदि लागू हो, ऋण शर्तों, भुगतान की शर्तों, क्लिंग-ऑफ अवधियों या रिटर्न का अधिकार, गारंटी की शर्तों, बिक्री के बाद की सेवा और वितरण पर।
57. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वस्त करती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि सत्यापन योग्य तथ्यों से संबंधित विवरण, दावे, उदाहरण या अन्य तत्व पुष्टि करने में सक्षम हैं।
58. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वस्त करती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि किसी भी भ्रामक, भ्रामक या अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा।

59. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि प्रत्यक्ष बिक्री को बाजार अनुसंधान के रूप में उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
60. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि प्रचार साहित्य, विज्ञापन या मेल में प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का नाम और पता या टेलीफोन नंबर होता है और इसमें प्रत्यक्ष विक्रेता का मोबाइल नंबर भी शामिल होता है।
61. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि प्रत्यक्ष बिक्री उस गारंटी, वारंटी या अन्य अभिव्यक्ति को पर्याप्त रूप से वही अर्थ रखती है, जो कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अलावा किसी भी अन्य अधिकार को प्रदान नहीं करती है।
62. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि किसी भी गारंटी या वारंटी की शर्तें, जिसमें गारंटर का नाम और पता शामिल हैं, उपभोक्ता के लिए आसानी से उपलब्ध होंगी और जहां कानून द्वारा अनुमति दी गई है, उपभोक्ता अधिकारों या उपायों पर सीमाएं स्पष्ट और विशिष्ट होंगी।

63. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि उपभोक्ता के लिए खुली उपचारात्मक कार्रवाई ऑर्डर फॉर्म या सामान या सेवा के साथ प्रदान किए गए अन्य साहित्य में स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएगी।
64. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि प्रस्ताव की प्रस्तुति में कोई प्रशंसापत्र, समर्थन या सहायक दस्तावेज शामिल या संदर्भित नहीं होगा जब तक कि यह वास्तविक, सत्यापन योग्य और प्रासंगिक न हो।
65. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि जब बिक्री के बाद सेवा की पेशकश की जाती है, तो सेवा का विवरण गारंटी में शामिल किया जाता है या पेशकश में कहीं और कहा जाता है और यदि उपभोक्ता पेशकश को स्वीकार करता है, तो यह जानकारी दी जाएगी कि उपभोक्ता सेवा को कैसे सक्रिय कर सकता है और सेवा एजेंट के साथ संवाद कर सकता है।
66. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि नमूने (यदि कोई हो) सहित उत्पादों को उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में उपभोक्ता तक डिलीवरी और संभावित वापसी के लिए उपयुक्त रूप से पैक किया गया है।

67. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि खरीद के समय उपभोक्ता को प्रस्तावित डिलीवरी तिथि के भीतर ऑर्डर को पूरा किया जाएगा, जब तक कि ऑर्डर फॉर्म में अन्यथा शामिल न हो और उपभोक्ता को किसी भी अनुचित देरी के बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा जैसे ही प्रत्यक्ष बिक्री इकाई या संबंधित प्रत्यक्ष विक्रेता की जानकारी में आता है।

68. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि ऑर्डर की डिलीवरी में देरी होने पर उपभोक्ता द्वारा ऑर्डर को रद्द करने के लिए किसी भी अनुरोध को मंजूरी दी जाएगी, चाहे उपभोक्ता को देरी के बारे में सूचित किया गया हो।

69. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि रद्दीकरण की अनुमति मिलने पर ऑर्डर की डिलीवरी में देरी के मामले में, खरीदारी के समय उपभोक्ता को प्रस्तावित रद्दीकरण शर्तों के अनुसार जमा राशि (यदि कोई हो) वापस कर दी जाएगी।

70. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि ऑर्डर की सुपूर्दगी में देरी होने पर जब रद्द कर दिया जाता है यदि वितरण को रोकना संभव नहीं है तो उपभोक्ता को खरीद के समय प्रस्तावित माल

की वापसी के लिए प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की लागत पर उत्पाद वापस करने के अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा।

71. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि उस प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा प्रस्तुत वापसी का अधिकार 'रिटर्न, रिफंड और पुनर्खरीद नीति' के रूप में लिखित होगा।

72. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि चाहे प्रस्ताव के लिए भुगतान तत्काल बिक्री या किस्त के आधार पर हो, प्रस्ताव में कीमत और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी, साथ ही किसी भी अतिरिक्त शुल्क जैसे डाक, हैंडलिंग और करों की प्रकृति और राशि बताई जाएगी, जब भी संभव हो।

73. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि किस्तों द्वारा बिक्री के मामले में, किसी भी जमा राशि या खाते में भुगतान की राशि, ऐसी किस्तों की संख्या, राशि और आवधिकता और तत्काल बिक्री मूल्य की तुलना में कुल कीमत, यदि कोई हो, सहित क्रेडिट शर्तें स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में दिखाई जाएंगी।

74. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि उपभोक्ता को किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट की लागत, ब्याज और शर्तों

को समझने के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी या तो ऑफर में या ऋण की पेशकश करते समय प्रदान की जाती है।

75. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि जब तक पेशकश की अवधि और पेशकश में कीमत स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती है, तब तक कीमतों का रखरखाव उचित समय के लिए किया जाएगा।

76. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले भुगतान और ऋण वसूली की प्रक्रिया लिखित रूप में निर्धारित की जाएगी और यह ऐसा होगा कि उपभोक्ता को अनुचित असुविधा से बचने के लिए, उपभोक्ता के नियंत्रण से बाहर विलंब के लिए उचित अनुमति देना होगा ।

77. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष धोखाधड़ी वाली गतिविधियों या बिक्री में शामिल नहीं होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे कि प्रतिभागी गलत या गुमराह करने वाले अभ्यावेदन या धोखाधड़ी, दबाव, उत्पीड़न या अनुचित या गैरकानूनी तरीके से किसी अन्य रूप में शामिल नहीं हों।

78. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष किसी भी ऐसे आचरण में शामिल नहीं होंगे, न ही उसका कारण बनेंगे या इसकी अनुमति नहीं देंगे, जो भ्रामक हो या उसके प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय से संबंधित किसी भी भौतिक विवरण, या स्वयं या प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेची जा रही वस्तुओं या सेवाओं के बारे में गुमराह करने की संभावना हो।

79. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष उपभोक्ताओं को उत्पादों या सेवाओं की गलत बिक्री में शामिल नहीं होंगे।

80. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष अपने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, या अपने माल या सेवाओं की बिक्री के लिए किसी भी धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अचेतन या गैरकानूनी साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, न ही उत्पीड़न का कारण बनेंगे या उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।

81. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष नकली वस्तुओं या कम सेवाओं को वापस लेने और प्रदान की

गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल को वापस करने से इनकार नहीं करेंगे।

82. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष करों के भुगतान और उसके तहत कटौतियों सहित सभी प्रासंगिक कानूनों की आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

83. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष उपभोक्ताओं को इस बात के आधार पर खरीद करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे कि वे संभावित ग्राहकों को इसी तरह की खरीद के लिए प्रत्यक्ष विक्रेताओं को संदर्भित करके मूल्य को कम या वसूल कर सकते हैं।

प्रत्यक्ष विक्रेता के दायित्व

84. प्रत्यक्ष विक्रेता मौखिक प्रचार, उत्पाद का प्रदर्शन और दिखाना, पैम्फलेट का वितरण और उपभोक्ताओं और संभावित प्रत्यक्ष विक्रेताओं को घर-घर जाकर बिक्री करके प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के उत्पादों का विपणन, वितरण और बिक्री करेगा।

85. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि किसी भी सामान या सेवाओं की बिक्री, या बेचने की पेशकश के लिए प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के साथ उसका पूर्व लिखित अनुबंध होगा।

86. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह किसी भी बिक्री प्रतिनिधित्व की शुरुआत पर सच्चाई से और स्पष्ट रूप से स्वयं की पहचान बताएगा, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की पहचान बताएगा, व्यवसाय के स्थान का पता बताएगा, बिक्री की गई वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति और ऐसी अभ्यर्थता के भावी प्रयोजन का प्रकटीकरण करेगा।

87. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह संभावित ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन, कीमतें, क्रेडिट शर्तें, भुगतान की शर्तें, रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड नीति, रिटर्न पॉलिसी, गारंटी की शर्तें और बिक्री के बाद की सेवा के बारे में सटीक और पूरी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करेगा।

88. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह प्रारंभिक बिक्री के समय या उससे पहले उपभोक्ता को एक ऑर्डर फॉर्म प्रदान करेगा, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेता की पहचान होगी और इसमें शामिल होगा –

i. नाम

ii. पता

- iii. पंजीकरण संख्या या नामांकन संख्या
- iv. प्रत्यक्ष विक्रेता का पहचान प्रमाण और संपर्क नंबर
- v. आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं का पूरा विवरण
- vi. माल की उत्पत्ति का देश
- vii. ऑर्डर की तारीख
- viii. उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि
- ix. नमूने के निरीक्षण और माल की डिलीवरी का समय और स्थान
- x. ऑर्डर रद्द करने या उत्पाद को बिक्री योग्य स्थिति में वापस करने और भुगतान की गई राशि पर पूरा रिफंड पाने का उपभोक्ता का अधिकार
- xi. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में संपूर्ण विवरण।

89. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह माल और सेवा कर पंजीकरण, स्थायी खाता संख्या पंजीकरण, सभी लागू व्यापार पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करेगा और उत्पाद की बिक्री के लिए लागू कानूनों, नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

90. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि खरीदार को दिया गया वास्तविक उत्पाद दिए गए उत्पाद के विवरण से मेल खाता है।

91. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई सभी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा वर्तमान में लागू कानूनों द्वारा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डेटा तक पहुंच या दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा।
92. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह बिना पहचान पत्र और पूर्व नियुक्ति या अनुमोदन के किसी उपभोक्ता के परिसर में नहीं जाएगा।
93. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह किसी ऐसी संभावना को कोई साहित्य प्रदान नहीं करेगा जिसे प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
94. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि उसे किसी भी संभावित ग्राहक से साहित्य या बिक्री प्रदर्शन उपकरण को खरीदने की अपेक्षा नहीं करेगा।
95. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह बिक्री के अनुसरण में ऐसा कोई भी दावा नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा अधिकृत दावों के अनुरूप नहीं है।

प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय में संलग्न न होने वाले व्यक्ति

96. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष विक्रय के व्यवसाय से जुड़ने से पहले पिछले पांच वर्षों के दौरान दोषी ठहराया गया हो, या दिवालिया हो, या विकृत दिमाग वाला व्यक्ति हो, उसे प्रत्यक्ष विक्रय के व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'दिवालिया' शब्द का वही अर्थ होगा जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 79 के खंड (3) में दिया गया है।

ई-कॉमर्स नियमों का अनुप्रयोग

97. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई ने आश्वासन दिया और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले दोनों पक्ष उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

पिरामिड योजना और धन संचलन योजना का निषेध

98. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष किसी भी व्यक्ति को ऐसी योजना में शामिल करने या प्रत्यक्ष बिक्री

व्यवसाय करने की आइ में किसी भी तरह की व्यवस्था में भाग लेने के लिए पिरामिड योजना को बढ़ावा नहीं देंगे।

99. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात पर सहमत है कि दोनों पक्ष प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आइ में धन संचलन योजना में भाग नहीं लेंगे।

कानून में विसंगतियां

100. यदि इन नियमों के अधीन शासित किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए कोई विनियम लागू होते हैं, तो ऐसे विनियम के उपबंध इन नियमों के प्रावधानों पर, असंगतता की सीमा तक अभिभावी होंगे।

प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए सामान्य निषेध

101. प्रत्यक्ष विक्रेता की आयु १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

102. प्रत्यक्ष विक्रेता के पास एक ही पैन नंबर पर एक से अधिक लॉगिन आईडी नहीं होगी। यदि एक ही पैन पर एक से अधिक लॉगिन आईडी पाया गया, तो ऐसी आईडी पूर्व सूचना के बिना रद्द कर दी जाएगी।

103. प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई से उत्पाद खरीदने या प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का प्रत्यक्ष विक्रेता बनने के लिए किसी भी झूठे बयान/वादे के साथ मजबूर या प्रेरित या गुमराह नहीं करने का वचन देता है।
104. प्रत्यक्ष विक्रेता या उसके रिश्तेदार (संबंधित अर्थ है आश्रित पुत्र या पुत्री, पिता/माता, पति/पत्नी) किसी अन्य इकाई के बहु-स्तरीय विपणन की किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। यदि यह पाया जाता है तो ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेता को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
105. प्रत्यक्ष विक्रेता को किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन फ़ोरम पर किसी भी उत्पाद या व्यावसायिक अवसर को सूचीबद्ध करने, विपणन, विज्ञापन, प्रचार करने, चर्चा करने या बेचने से प्रतिबंधित किया गया है जो बिक्री के तरीके के रूप में नीलामी की पेशकश करता है।
106. प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की पूर्व लिखित सहमति, अनुमति या प्राधिकरण के बिना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म/मार्केटप्लेस पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए अधिकृत नहीं है।
107. एक बार एक वितरक सेवा समाप्त हो जाने के बाद, वह किसी भी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई परिसर/बैठक स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसकी सुविधा

शुल्क/उसके नाम को हटा दिया जाएगा और वह तुरंत आगे से कोई भी शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

108. प्रत्यक्ष विक्रेता किसी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को ऐसा कोई तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता जिसे सत्यापित न किया जा सके या कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता जिसे पूरा न किया जा सके;
109. प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को गलत और/या भ्रामक तरीके से प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के किसी भी लाभ को पेश नहीं कर सकता है।
110. प्रत्यक्ष विक्रेता एक स्वतंत्र ठेकेदार है और इस करार में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ लगाया जाएगा कि-
- i. किसी भी पक्ष को दूसरे की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करने की शक्ति दें,
 - ii. भागीदार, संयुक्त उद्यम, सह-मालिकों या अन्यथा के रूप में पक्षकारों का गठन करें, या
 - iii. प्रत्यक्ष विक्रेता को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की ओर से कोई भी दायित्व बनाने या ग्रहण करने की अनुमति दें।

111. प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का कर्मचारी नहीं है और किसी भी कर्मचारी लाभ का हकदार नहीं है।
112. प्रत्यक्ष विक्रेता समझता है कि यह एक स्वतंत्र स्वामित्व वाली व्यावसायिक इकाई है और यह समझौता उसे किसी भी उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष बिक्री कर्मचारी, सहयोगी या एजेंट या कानूनी प्रतिनिधि नहीं बनाता है। प्रत्यक्ष विक्रेता के पास प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के संबंध में या उसकी ओर से या उसके नाम पर किसी भी दायित्व को मानने या लेने या किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को बाध्य करने का कोई व्यक्ति या निहित अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष विक्रेता सभी प्रकार के परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा चाहे वह वित्तीय, वैधानिक, नागरिक या आपराधिक हो।

प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए पारिश्रमिक लाभ

113. सभी भुगतान और लेनदेन का मूल्य भारतीय रुपये (आईएनआर) में होगा।
114. प्रत्यक्ष विक्रेता को नए प्रत्यक्ष विक्रेताओं की भर्ती/नामांकन के लिए कोई पारिश्रमिक या प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
115. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई प्रत्यक्ष विक्रेता स्तर की आय, मिलान आय, सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, स्मार्ट रैंक आदि का भुगतान ऐसी दर पर करेगी जैसा कि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा प्रत्यक्ष विक्रेता को लिखित रूप में सूचित किया जा सकता है।

यह कमीशन लागू होने वाले प्रासंगिक करों के अधीन होगा। प्रत्यक्ष विक्रेता इकाई समय-समय पर बोनस, प्रोत्साहन और भत्तों की दर को संशोधित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है और इसे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा प्रत्यक्ष विक्रेता को सूचित किया जाएगा।

116. इस ई-अनुबंध समझौते के तहत प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के उत्पादों को बेचने पर बिक्री से संबंधित निर्दिष्ट प्रतिशत/अंक-आधारित प्रोत्साहन मिलेगा।

117. बोनस, प्रोत्साहन और भत्ते प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा मांगे गए उपभोक्ताओं के सभी बिक्री आदेशों पर लागू होंगे। क्षेत्र के भीतर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा सीधे मांगे गए ऑर्डर पर कोई बोनस, प्रोत्साहन और भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

करार का निलंबन, निरस्तीकरण या समाप्ति

118. कि समझौते में कहीं और प्रदान किए गए किसी अन्य अधिकारों और उपायों के बावजूद, इस समझौते की समाप्ति पर:

- i. प्रत्यक्ष विक्रेता अपने किसी भी सौदे में प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

- ii. प्रत्यक्ष विक्रेता जानबूझकर या अन्यथा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे तीसरे पक्ष को यह विश्वास हो कि प्रत्यक्ष विक्रेता के साथ प्रत्यक्ष बिक्री समझौता हुआ है।
 - iii. प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी ऑडियो या विजुअल रूप में प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के नाम, ट्रेडमार्क, लोगो आदि का उपयोग बंद कर देगा।
 - iv. इस समझौते की वैधता के दौरान प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के प्रति उत्पन्न होने वाली सभी दायित्वों और देनदारियों को प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा हर तरह से पूरा और संतुष्ट करना होगा।
119. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई किसी भी कारण से समझौते को समाप्त कर सकती है, जो इन तक सीमित नहीं है:
- विपणन योजना के प्रावधान के अनुसार।
 - प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के हित में कोई भी अनैतिक और पूर्व न्यायिक कार्य।
 - इस अनुबंध और विपणन योजना के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए।
 - प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा दी गई जानकारी गलत/गलत पाई गई।
 - कारावास की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
 - दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
 - व्यवसाय को संभालने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है।

- ई-कॉमर्स नियम, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाला पाया गया है।
- ऐसा पाया गया है कि यह कराधान कानून या किसी अन्य कानून का उल्लंघन कर रहा है।
- ऐसा पाया गया है कि नकद/चेक/ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) का गबन किया गया है, जिसे ग्राहक द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की ओर से प्राप्त किया जाता है।

120. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने स्वयं के लाइसेंस शर्तों में परिवर्तन या सक्षम सरकारी अधिकारियों के निर्देशों के कारण किसी भी समय इस ई-कॉन्ट्रैक्ट समझौते के संचालन को निलंबित करने के अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसी स्थिति में, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई उपरोक्त कार्रवाई से होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

121. सेवा की सहमत गुणवत्ता को बनाए रखना प्रत्यक्ष विक्रेता की जिम्मेदारी होगी, उस अवधि के दौरान भी जब समझौते के आत्मसमर्पण/समाप्ति का नोटिस लंबित है।

122. प्रत्यक्ष विक्रेता इस करार को किसी भी समय 30 दिन की लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है।

123. प्रत्यक्ष विक्रेता संभावित ग्राहक को व्यवसाय/मुआवजा योजना प्रस्तुत करने/दिखाने/समझाने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि उसे प्राप्त हुआ है। यदि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को पता चलता है कि प्रत्यक्ष विक्रेता ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिसकी उसे अनुमति नहीं है/अधिकृत नहीं है, तो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के पास उसे कारण बताओ नोटिस के साथ या बिना प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के व्यवसाय से समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की विशेष शक्तियां होंगी।

124. प्रत्यक्ष विक्रेता को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, उसके उत्पाद आदि के बारे में किसी भी अनुचित या अपमानजनक सामग्री का उल्लेख/पोस्ट/प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया है। यदि वह इस खंड के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, तो यह अनुबंध समाप्त माना जाएगा और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

क्षतिपूर्ति

125. प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और इसके कर्मचारियों, अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों या प्रतिनिधियों की किसी भी और सभी देनदारियों, नुकसान,

जुर्माना, जुर्माना और लागत (कानूनी लागत और संवितरण सहित) की रक्षा, बचाव, क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखने के लिए सहमत है:

- i. किसी भी सरकारी निकाय, एजेंसी या नियामक द्वारा अधिसूचित किसी भी कानून, विनियमन, दिशा, आदेश या मानकों का उल्लंघन, जो प्रत्यक्ष विक्रेता पर लागू होता है, जिसमें कर का भुगतान और जमा करना शामिल है; आयकर, जीएसटी, व्यापार कर, पेशेवर कर के कारण, जब भी कानून के तहत लागू और आवश्यक हो।
- ii. प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा इस ई-अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन।
- iii. किसी भी बौद्धिक संपत्ति के अधिकार या किसी तीसरे पक्ष या कानून के किसी अन्य अधिकार के किसी उल्लंघन का दावा, या
- iv. गबन, दुरुपयोग या संग्रह/धन के दुरुपयोग के सभी मामलों के विरुद्ध, जो समझौते की निरंतरता के दौरान समय-समय पर उसके कब्जे/नियंत्रण में आ सकते हैं।

नवीकरण और समझौते की अवधि

126. प्रत्यक्ष विक्रेता को समाप्ति अवधि पर या उससे पहले वार्षिक रूप से अपने प्राधिकरण को नवीनीकृत करना होगा।

127. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई किसी भी नवीनीकरण अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और किसी भी प्रत्यक्ष विक्रेता नवीनीकरण आवेदन को रद्द कर सकती है, यदि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की राय में, प्रत्यक्ष विक्रेता गतिविधियां प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के हित के अनुरूप नहीं हैं या यदि प्रत्यक्ष विक्रेता ने पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी नियम, पदोन्नति, नियम और शर्तों आदि का पालन नहीं किया।
128. नवीनीकरण की औपचारिकताओं का पालन न करने की स्थिति में प्रत्यक्ष विक्रेता का अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

विशेष शर्त

129. यहां बताई गई या प्रदान की गई किसी भी बात के बावजूद, प्रत्यक्ष विक्रय इकाई के पास नियमों और शर्तों को किसी भी तरीके से संशोधित करने या बदलने की पूरी शक्ति और विवेक होगा, जिसे वे उचित समझें और प्रत्यक्ष विक्रय इकाई जैसा उपयुक्त एवं उचित समझे इसे आधिकारिक वेबसाइट या अन्य तरीका के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
130. यदि कोई प्रत्यक्ष विक्रेता ऐसे संशोधनों से बाध्य होने के लिए सहमत नहीं है, तो वह प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को लिखित नोटिस देकर ऐसे प्रकाशन के 30 दिनों के

भीतर इस समझौते को समाप्त कर सकता है। संशोधन आदि के लिए आपत्ति प्रस्तुत किए बिना, यदि प्रत्यक्ष विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों को जारी रखता है, तो यह माना जाएगा कि उसने भविष्य के लिए नियम और शर्तों में सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है।

फोर्स मेजर

131. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जहां ऐसी विफलता के परिणामस्वरूप प्रकृति के कृत्यों (जिसमें आग, बाढ़, भूकंप, तूफान, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं), युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मनों के अधिनियम, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित किया गया है या नहीं), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, सैन्य, या हड़पी हुई शक्ति या ज़ब्ती, आतंकवादी सक्रियता, राष्ट्रीयकरण, सरकारी मंजूरी, रुकावट, प्रतिबंध, श्रम विवाद, हड़ताल, तालाबंदी, या बिजली की रुकावट या विफलता, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का पुनर्निर्देशन (केंद्रीय और/या राज्य), स्थानीय प्राधिकरण आदि।

संसाधन और कानूनी प्रयोज्यता

132. यदि व्यवसाय या किसी नियम और शर्तों की व्याख्या या किसी अन्य मामले को लेकर पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसे मध्यस्थता

के लिए भेजा जाएगा और यह "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996" द्वारा शासित होगा।

133. यदि इन नियमों और शर्तों के संबंध में या उनसे संबंधित किसी भी प्रावधान की वैधता, व्याख्या, कार्यान्वयन, समाप्ति, या कथित भौतिक उल्लंघन सहित, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी पक्ष द्वारा ऐसे विवाद के अस्तित्व के अन्य पक्षों को नोटिस दिए जाने और उसके सौहार्दपूर्ण समाधान की आवश्यकता होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, तो पार्टी के अनुरोध पर वह मध्यस्थता द्वारा होगा। इन शर्तों और शर्तों में कोई भी मध्यस्थता सभी विवाद पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा संचालित किया जाएगा, या एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में असहमति के मामले में, तीन (3) मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा, जिसमें से प्रत्यक्ष बिक्री इकाई एक (1) मध्यस्थ नियुक्त करेगी, प्रत्यक्ष विक्रेता दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और तीसरा मध्यस्थ दो नियुक्त मध्यस्थ द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा संचालित की जाएगी। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता की अपनी लागत वहन करेगा। मध्यस्थता की कार्यवाही रांची झारखंड में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता की कार्यवाही भारत के कानूनों द्वारा संचालित की जाएगी। मध्यस्थ के

अधिनिर्णय को लिखित रूप में प्रमाणित किया जाएगा। मध्यस्थ लागत भी दे सकता है। मध्यस्थों का कोई भी निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि किसी भी पक्ष को किसी वाद या कानूनी कार्यवाही (अंतरिम या रूढ़िवादी उपायों के अलावा) शुरू करने या बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि विवाद का निर्धारण मध्यस्थता प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और फिर केवल मध्यस्थता में दिए गए अधिनिर्णय के प्रवर्तन के लिए किया गया है। मध्यस्थता अधिनिर्णय पर निर्णय सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय में दिया जा सकता है या ऐसे न्यायालय को, यथास्थिति, अधिनिर्णय और प्रवर्तन आदेश की न्यायिक स्वीकृति के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके द्वारा पार्टियां मध्यस्थता के दौरान या दिए गए किसी भी निर्णय के दौरान उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न के संबंध में कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में किसी भी आवेदन या अपील को छोड़ दिया है।

134. पूर्वगामी अनुच्छेदों में निर्धारित नियम और शर्तें भारत में लागू कानून के अनुसार संचालित की जाएंगी। विवाद, यदि कोई हों, रांची झारखंड में न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता के अधीन होंगे।

विधिवत शपथ लेते हुए निम्नलिखित रूप में घोषणा करते हैं

1. यह कि मैंने प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के प्रत्यक्ष विक्रेता की नियुक्ति के लिए शर्तों को पढ़ा और समझा है।
2. मैं प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की आधिकारिक वेबसाइट और मुद्रित सामग्री, विवरणिकाएं भी देख चुका हूं और व्यवसाय के बारे में आश्वस्त हूं और मैंने अपनी मर्जी से मुझे एक प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में नियुक्त करने के लिए आवेदन किया है।
3. मैं घोषणा करता हूं कि मुझे प्रत्यक्ष बिक्री इकाई या उसके निदेशकों द्वारा मेरे द्वारा खरीदे गए उत्पादों के कारण किसी निश्चित आय प्रोत्साहन, पुरस्कार या लाभ के बारे में कोई आश्वासन या वादा या प्रलोभन नहीं दिया गया है।
4. मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूं कि आय के लिए पात्रता विशेष रूप से व्यवसाय की मात्रा में मेरे प्रदर्शन पर निर्भर करती है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के पास बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय व्यापार योजना में परिवर्तन करने का अधिकार है।
5. मैं किसी को भी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई में शामिल होने के लिए गुमराह नहीं करने या बेईमानी से प्रेरित नहीं करने का वचन देता हूं।
6. मैं आवेदन पत्र के साथ निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत हूं और उनका पालन करता हूं और एक उपभोक्ता के रूप में उत्पाद खरीदने/प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों को करने के लिए सहमत हूं।

7. मैं एएडी ईकॉमर्स एंड टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड से खरीदे गए उत्पादों से संतुष्ट हूँ।
8. मैं प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की शर्तों के अनुसार सभी विवादों को मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।